

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—९ / उपांकीट०अनु०—२० / २०१३—
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

अप्रैल २०१५.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संदीप कुमार वर्मा,
मेसर्स मोन्सेन्टो इण्डिया लि०,
द्वारा—कृष्णा सीड्स, कृष्णा टावर्स,
डॉ कमाल अशरफ लेन,
एस० पी० वर्मा रोड, पटना।

१० रु० तिं० सू०, बिहार, १३८

प्रैल १० —————

दस्तावेज़ —————

विषय :— कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—८२—८३ दिनांक १०.०९.२०१३ के नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य कागजात तथा सहायक निदेशक (पौ० सं०), सर्वेलेन्स, मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम १९६८ नियमावली १९७१ एवं आदेश १९८६ में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं०—८२—८३ दिनांक १०.०९.२०१३ का नवीकरण दिनांक ३१.१२.२०१५ तक के लिये की जाती है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
१	Glyphosate 41% SL

२—उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम १९६८, नियमावली १९७१, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स मोन्सेन्टो इण्डिया लि०, द्वारा—मेसर्स कृष्णा सीड्स, H/O- श्रीमती गीता देवी, W/O- श्री शंकर चौधरी, ग्राम—चकदाद, पौ०+थाना—तेघड़ा, जिला—बैगुसराय।

३—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम १९६८, नियमावली १९७१, आदेश १९८६ में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

४ अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

५—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

६—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

८—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

९—कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति सं०—८२—८३ दिनांक १०.०९.२०१३ मूल रूप में संलग्न है। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

१९२।

/ कृ०, पटना, दिनांक ..१० अप्रैल २०१५

प्रतिलिपि— (१) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सार्थियकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, बैगुसराय एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(२) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना